26/3/25 वकील अभियुक्त एवं वकील वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगातार की तलबी हेतु बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद समय पेश नहीं किए हैं। आज भी समय पेश करने की संभावना जाहिर नहीं की है। अतः वाद वादी तलबी के डिक्री में पारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर की हो। हस्ब जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)